न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—18 / 13 (2013 / 00044) वाद पत्र

अनवान

1—जड़ाव बेवा उंकार खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2—नारायणलाल आत्मज कस्तुर खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1—लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादी

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित
1. जाकिर हुसैन — अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 17.12.2020

पत्रावली आज में पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रायपुर पटवार हल्का रायपुर तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में साबिक खाता संख्या 177 में अकिंत साबिक आराजी संख्या 1379 रकबा 11 बिस्वा, 1378 रकबा 4 बिस्वा, 1381 रकबा 16 बिस्वा, 1382 रकबा 7 बिस्वा, 1383 रकबा 19 बिस्वा, 1384 रकबा 9 बिस्वा, 1386 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। प्रमाण में पुरानी जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 की व साबिक नक्शा ट्रेस वाद पत्र के साथ पेश की है। वाद पत्र की कलम नम्बर 1 में अकिंत कृषि आराजियात कुल किता 7 कुल रकबा 6 बीघा 18 बिस्वा पर वादीगण साबिक नक्शे के मुताबिक मौके पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे थे तथा वर्तमान में भी वादीगण साबिक नक्शे के मुताबिक काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। ग्राम रायपुर का भू प्रबन्ध होने से साबिक कृषि आराजियात के निम्न नवीन नम्बर कायम किये गये जो निम्न है। आराजी संख्या 745 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 746 रकबा 0.06 है0, आराजी संख्या 747 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 753 रकबा 0.15 है0, आराजी संख्या 754 रकबा 0.13 है0, आराजी संख्या 755 रकबा 0.16 है0, आराजी संख्या 756 रकबा 0.10 है0, आराजी संख्या 757 रकबा 0.05 है0, आराजी संख्या 758 रकबा 0.39 है0, आराजी संख्या 759 रकबा 0.20 है0, कुल किता 10 कुल रकबा 1.49 है0 भूमि कायम हुए। भू प्रबन्ध विभाग ने साबिक आराजी संख्या 1382, 1384, 1386 को मिलाते हुए नवीन नम्बर — 753, 754, 755, 757, 758 कायम किये गये है। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक आराजी के नवीन नम्बर व रकबा तो सही कायम किये गये परन्तु भू प्रबन्ध विभाग बिना किसी विधिक आदेश साबिक आराजी संख्या 1386 के साबिक नक्शे को नवीन नक्शे में छोटा करते हुए नवीन आराजी संख्या 755 व 758 की आकृति को भी परिवर्तित कर दिया है तथा आराजी संख्या 755 व 758 के रकबे को नवीन नक्शे में कम कर दिया है जबकि मौके पर वादीगण साबिक नक्शे मुताबिक ही काबिज है। वादीगण द्वारा अपनी उस आराजियात में नवीन चाह का निमार्ण किया है जिससे उक्त [illegible] साबिक नक्शे एवं मौके की स्थिति अनुसार नवीन नक्शे में बढ़ा कर तरमीम कर[illegible]कार्ड मे अमल दरामद करने की इन्द्राज दुरस्ती की घोषणा की डिक्री ज[illegible] हो गया है। अतः वादीगण की सादर प्रार्थना है कि बहक वादीगण [illegible] घोषणात्म[illegible] सादिर फरमाई जावे कि वादीगण की नवीन [illegible] 758 के नवीन नक्शे [illegible]कृति को साबिक नक्शे के मुताबिक तरमीम किया जाकर नवीन नक्शे में कमी रकबे को पुरा किया जावे व आराजी संख्या 755 व 758 की सीमा में खोदे गये नवीन चाह को राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की घोषणात्मक डिक्री जारी की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.05 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

प्रस्तुत वाद पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 25.03.2013 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना मे प्रतिवादी तहसीलदार रायपुर की ओर से वादवर्णित तथ्यो को अस्वीकर करते हुए जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में अंकन किया कि ग्राम रायपुर की आराजी नम्बर 745 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 746 रकबा 0.15 है0, आराजी नम्बर 747 रकबा 0.15 है0, आराजी नम्बर 753 रकबा 0.15 है0, आराजी नम्बर 754 रकबा 0.13 है0, आराजी नम्बर 755 रकबा 0.16 है0, आराजी नम्बर 756 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 757 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 758 रकबा 0.39 है0, आराजी नम्बर 759 रकबा 0.20 है0 कुल किता 10 कुल रकबा 1.49 है0 वादी जड़ाव बेवा उंकार नारायण पिता कस्तुर खटीक निवासी रायपुर के नाम दर्ज रेकार्ड है उक्त भूमि पर वादीगणो का कब्जा है। आराजी नम्बर 758 रकबा 0.39 है0 किस्म भू.बी. में रकबा 0.01 है0 में नवीन चाह बना हुआ है जो रेकार्ड में दर्ज नही है। नवीन चाह को नक्शे में लाल स्याही से दर्शाया गया है। भू प्रबन्ध से पूर्व आराजी नम्बर 1386 रकबा 03 बीघा 12 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 754, 755, 756, 758 बने है। साबिक नक्शा व हाल नक्शा में खसरा नम्बर की आकृति समान है एवं दोनो नक्शो में भिन्नता नही है।

वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र पेश किया गया जो शामिल पत्रावली है और इसी के साथ वाद में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वाद डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन कर अध्ययन किया तो पाया कि साबिक के मुकाबले नवीन रेकार्ड में वादीगण के नाम जो भूमि दर्ज हुई है जो साबिक रकबे के अनुरूप ही है तहसीलदार रायपुर से प्राप्त मौका रिपोर्ट में मौके पर जो चाह खुदा हुआ है वो आराजी नम्बर 758 में होना अकिंत किया है और आराजी नम्बर 758 वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादी जड़ाव बेवा उंकार खटीक व नारायणलाल आत्मज कस्तुर खटीक के नाम दर्ज रकार्ड है। वादीगण द्वारा उक्त कुएं को राजस्व नक्शे में दर्ज कराने हेतु वाद पेश किया गया मौका रिपोर्ट के अनुसार कुआं वादीगण की खातेदारी भूमि में स्थित है ऐसी स्थिति में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रायपुर के आराजी नम्बर 758 जो वादीगण की खातेदारी भूमि है उसमें स्थित चाह को नवीन नम्बर देते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे। इसी अनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.05 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

मूल वाद मे अन्तिम डिक्री
(आदेश 20 रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–श्री सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–18/13 (2013/00044) वाद पत्र

अनवान

1–जड़ाव बेवा उंकार खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2–नारायणलाल आत्मज कस्तुर खटीक निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

वादीगण

बनाम

1–लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रतिवादीगण

<u>वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

यह मुकदमा वास्त इन फिसान कतई रूबरू हमारे बहाजरी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम रायपुर के आराजी नम्बर 758 जो वादीगण की खातेदारी भूमि है उसमें स्थित चाह को नवीन नम्बर देते हुए राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज किया जावे पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को लिखा जावे।

वाद में डिक्री आज दिनांक 17.12.2020 को न्यायालय मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

17.12.2020
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर जिला भीलवाड़ा
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.01.05 18:22:53 IST
Reason: SelfAttested